



UNIVERSITY SPORTS BOARD

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER

1

भारतीय विश्वविद्यालय संघ अनुसार अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु नियम

1. पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक खिलाड़ी जिन्होंने स्कूल स्तर की 10+2/समकक्ष परीक्षा के पश्चात् मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, वही अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है।
2. खुले विश्वविद्यालयों के नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा भी भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा स्वीकृत किसी भी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे अन्य योग्यता नियमों के अनुसार पूर्ण योग्यता रखते हों।
3. अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विदेशी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं लेकिन उनकी संख्या 10 प्रतिशत से अधिक न हो यद्यपि छोटी टीम जिनमें खिलाड़ियों की संख्या 10 से कम है उनमें 01 विदेशी खिलाड़ी भाग ले सकता है।
4. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रत्येक पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा-
5. वही छात्र/छात्रा प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जो सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की प्रथम जुलाई को 28 वर्ष या उससे कम आयु के हो। बास्केटबाल एवं फुटबाल खेल में अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष ही रहेगी।
6. विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता (10+2 / समकक्ष परीक्षा उर्तीण वर्ष से) के योग्य हुए छात्र/छात्रा को 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ हो।
10 वर्ष की योग्यता अवधि को निम्नानुसार वर्गिकृत किया गया है।
 - (a) 10+2 / समकक्ष परीक्षा उर्तीण करने के वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम, जिसमें कि प्रवेश योग्यता 10+2 / समकक्ष परीक्षा है, में 05 वर्ष तक भाग ले सकते हैं तथा इस अवधि में पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन एवं उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 - (b) स्नातक/समकक्ष परीक्षा उर्तीण करने के वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसमें कि प्रवेश योग्यता स्नातक / समकक्ष परीक्षा है, में 05 वर्ष तक भाग ले सकते हैं तथा इस अवधि में पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन एवं उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 - (c) स्पष्टीकरण (Explanation) 10+2 परीक्षा में पूरक परीक्षाधारी (Compartment/ Reappear) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित है एवं इसी तरह स्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम कक्षा/सेमेस्टर में पूरक परीक्षाधारी (Compartment/ Reappear) जो कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता जब तक की पूरक परीक्षा पास (Clear) ना हो।
7. जो खिलाड़ी पूर्णकालिक (Full Time Employee) आधार पर नोकरी कर रहे हैं वे प्रतियोगिता के लिये योग्य नहीं होंगे यद्यपि सार्वजनिक/निजी संस्थान द्वारा खेल छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु योग्य होंगे।
8. एक शैक्षिक सत्र के दौरान प्रतिभागी खिलाड़ी एक ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
9. एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण होने पर प्रतिभागी खिलाड़ी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व के योग्य तभी माना जायेगा जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय प्रवेश की अन्तिम या पूर्ण या वैध पुष्टि कर देगा।
10. खिलाड़ी का पिछले किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में खेले हुये अवसरो को भी आवश्यक रूप से वर्तमान खेलने के अवसरो के साथ गिना जायेगा। जिससे की गलत दावा प्रस्तुत नहीं किया जावे।
11. 10 वी, 10+2, स्नातक व स्नातकोत्तर की अंकतालिकाओं की फोटो प्रतिया संस्था प्रधान से सत्यापित, प्रवेश शुल्क रसीद व पहचान पत्र की प्रतिलिपिया प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी एवं मांगे जाने पर मूल प्रतिया दिखानी आवश्यक है।
12. यदि नियमित छात्र एवं छात्रा एक पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात पुनः उसी या नये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो प्रतिभागी के सभी अवसर अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार ही होंगे।

Dr. Jyoti Singh

Dr. R. G. Sharma

(Dr. S. N. Sharma)

(M-S-B)

3

(Amarjeet Singh)

